

## समाहरणालय मधेपुरा

(जिला स्थापना शाखा)


**मो० सोहैल, भा० प्र० से० जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक-19.11.2016 के 4.30 बजे अपराह्न में जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की कार्यवाही :-**

उपस्थिति :- उपस्थिति पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, मधेपुरा द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिला स्थापना उप समाहर्ता, मधेपुरा द्वारा विभागीय निदेश(सामान्य प्रशासन विभाग) पढ़कर सुनाया गया। जिला अनुकम्पा समिति के विचारार्थ निम्नांकित विवरणी के अनुरूप प्राप्त आवेदन पत्रों/ अभिलेखों को उपस्थापित किया गया :-

01.	समाहरणालय संवर्ग :-	04
02.	सिविल सर्जन कार्यालय, मधेपुरा :-	02
03.	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा:-	01
04.	लघु सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज :-	01
05.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) कार्यालय, मधेपुरा :-	02
<b>कुलयोग :-</b>		<b>10(दस)</b>

क्र०	आवेदक का नाम	पिता/माता/पति का नाम/ पदनाम / कार्यालय का नाम एवं पता	दिनांक-19.11.2016 को जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय
1	मसो० उषा रानी ठाकुर	स्व० आमोद रंजन, जनसेवक, प्रखण्ड कार्यालय, पुरैनी।	<p>पूर्व में दिनांक-30.06.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलाके में आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को उम्र क्षान्त करने प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है।</p> <p>इस संदर्भ में विचारोपरान्त जिला अनुकम्पा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वांछित प्रतिवेदन हेतु रमार्जित करें तथा उम्र क्षान्त संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुकम्पा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।</p>
2	श्रीमती रेखा देवी	स्व० रामनारायण चौदर, भूतपूर्व दफ्तरी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा	<p>पूर्व में दिनांक-30.06.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलाके में किस तिथि को अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित किया गया था, के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसके आलाके में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा के पत्रांक-1113, दिनांक- 08.08.16 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुकम्पा समिति द्वारा अवलोकनोपरान्त निर्णय लिया गया कि समर्पित प्रतिवेदन में आवेदिका द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु किस तिथि को आवेदन समर्पित किया गया है, के संबंध में तिथि अंकित नहीं किया गया है तथा कार्यालय में भिजे गये दायरी को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदिका द्वारा किस तिथि को आवेदन समर्पित किया गया है? का स्पष्ट उल्लेख संबंधी प्रतिवेदन</p>



			की माँग किया जाय तथा राक्ष्य के रूप में कार्यालय में किए गये डायरी की अभिप्रमाणित प्रति की भी माँग की जाय। तत्पश्चात वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
3	श्री अखिलेश कुमार	स्व० शिवन मंडल, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, जिला शिक्षा कार्यालय, मधेपुरा	<p>पूर्व में दिनांक-30.06.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलाके में सेवापुस्त समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा ने पत्रांक-443, दिनांक-05.07.16 से मूल सेवापुस्त समर्पित किया गया।</p> <p>आवेदन के अवलोकनोपरान्त आवेदन में आश्रितों के भरण पोषण संबंधी आवेदक का शपथ पत्र अप्राप्त रहने के कारण सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मृतक के आश्रितों के भरण पोषण करने संबंधी आवेदक को शपथ पत्र की माँग की जाय। तत्पश्चात अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में रखा जाय।</p>
4	श्री रवि कुमार विश्वास	स्व० समोली देवी, भूतपूर्व ए०एन०एम०, प्रा०स्वा०केन्द्र, बिहारीगंज	<p>पूर्व में दिनांक-30.06.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलाके में इन्टर का मूल प्रमाण पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में सिविल सर्जन, मधेपुरा ने पत्रांक-1409, दिनांक-10.11.16 से प्रतिवेदित किया कि इन्टर का अंक पत्र मूल पत्रक सहित है। अवलोकनोपरान्त यह पाया गया कि मृत सरकारी सेवक के सेवापुस्त में सेवासम्पुष्टि का प्रमाण अंकित नहीं है तथा पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय के जिस आदेश से मृत सरकारी सेवक की पुर्ननियुक्ति की गयी है, उसकी छायाप्रति भी सेवापुस्त में संलग्न नहीं है।</p> <p>सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सेवापुस्त में उक्त आशय का प्रमाण अंकित करने के निमित्त सिविल सर्जन, मधेपुरा को सेवापुस्त भेजी जाय तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अभिप्रमाणित प्रति की भी माँग की जाय। तत्पश्चात अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में रखा जाय।</p>
5	श्री पंकज कुमार	स्व० अशोक कुमार सिन्हा, भूतपूर्व लैब तकनीशियन, फाईलेरिया नियंत्रण इकाई, मधेपुरा	<p>पूर्व में दिनांक-30.06.2016 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलाके में आवेदक एवं आश्रित का मूल शपथ पत्र एवं मूल कर्मी का मूल सेवापुस्त उपलब्ध कराने हेतु अपर निदेशक, रवा० सेवा (फा०नि०), बिहार पटना को निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-558-2, दिनांक-22.07.16 एवं पत्रांक-912/स्था०, दिनांक-04.11.16 से उक्त की माँग की गयी, जो अप्राप्त है।</p> <p>विचारोपरान्त अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से वांछित कागजातों एवं मूल सेवापुस्त की माँग हेतु स्मारित करने का निर्णय लिया गया।</p>
6.	मसो० जूली कुमारी	स्व० विष्णुदव रजक, भूतपूर्व अनुसेवक, अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि मृत सरकारी सेवक के मूल सेवापुस्त में सेवा के सम्पुष्टि का अंकन नहीं किया गया है।

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

			फलतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से सेवापुस्त में सर्वप्रथम सेवा सम्पुष्टि का अंकन करवाया जाय तत्पश्चात अनुकम्पा समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
7.	श्री मनीष कुमार	स्व० नवीन कुमार वर्मा, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, मुरलीगंज।	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि मृत कर्मी का मूल सेवापुस्त नहीं है। अतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मृत कर्मी का मूल सेवापुस्त एवं आवेदक का आश्रितों के भरण-पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त किया जाय। तत्पश्चात अनुकम्पा समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
8	श्री विनय कुमार ठाकुर	स्व० प्रमिला देवी, भूतपूर्व अनुसेविका, सिंचाई प्रमंडल, मुरलीगंज	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि मृत कर्मी के सेवापुस्त में सेवा सम्पुष्टि का अंकन नहीं है। अतः अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम मृत कर्मी के सेवापुस्त में सेवासम्पुष्टि का अंकन करवाया जाय तथा आवेदक का आश्रितों के भरण-पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त किया जाय। तत्पश्चात अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
9	असगरी प्रवीण	स्व० मो० अजीमउद्दीन, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, मधेपुरा	पूर्व में इस मामले को दिनांक-01.11.2014 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक में अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया था। आवेदिका द्वारा दिनांक-24.08.2016 को दिये गये आवेदन के आलोक में पुनः अनुकम्पा समिति के समक्ष पुनर्विचार हेतु रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदिका के अनुकम्पा पर नियुक्ति हेतु उनकी माँ से एवं बड़ी बहन के आश्रित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है। अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदिका के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उनकी माँ से एवं बड़ी बहन के आश्रित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र माँग की जाय। तत्पश्चात अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।
10	श्री विनोद कुमार पासवान	स्व० बादामी देवी, भूतपूर्व अनुसेविका, गायत्री ईवर उच्च विधालय, बिहारीगंज	इस मामले को अनुकम्पा समिति में प्रथम बार विचारार्थ रखा गया। अनुकम्पा समिति द्वारा विचारोपरान्त पाया गया कि आवेदक का मूल पारिवारिक सूची उपलब्ध नहीं है। अनुकम्पा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम आवेदक के मूल पारिवारिक सूची की माँग की जाय। तत्पश्चात अगली अनुकम्पा समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

**शर्तें :-** सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से जिला अनुकम्पा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त अनुशंसित आवेदक/आवेदिका को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार निम्नोक्त तर्कों पर अवश्य संतुष्ट हो लेंगे :-

01. आवेदक/आवेदिका द्वारा समर्पित कागजात / प्रमाण पत्र इत्यादि का सत्यापन कराने के उपरान्त ही नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे।
02. आवेदक / आवेदिका से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेंगे कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारवास का दंड नहीं दिया गया है तथा अपराधिक मामला उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है,







